श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब रह गया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नन्दा जी ने आश्वासन दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कदम उठाया है उस आश्वासन को पूरा करने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कैसे पूछेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह जवाब तो दिलाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : वह खत्म हुआ लेकिन फिर भी आप बार बार खड़े हो रहे हैं ।

12.20 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

WRIT PETITION BY SHRI MADHU LIMAYE BEFORE CIRCUIT BENCH OF PUNJAB HIGH COURT.

Mr. Speaker: There was a notice of question of privilege by Shri Vidya Charan Shukla, Shri A. S. Saigal and others regarding the writ petition by Shri Madhu Limaye before the Circuit Bench of the Punjab High Court. I had kept it pending because then the case was before the Court. Shri Shukla might briefly say what he wants to.

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): Sir, I had given this notice of privilege motion on 10th May and as you have said this was held over until the Court gave the decision on the writ petition. As you will remember, the hon. Member Mr. Madhu Limaye made allegations of *mala fides* on the presiding officer of this hon. House in a writ petition and that is the most objectionable part on which I have based my privilege motion. I also requested that this motion be referred to the Privileges Committee for its decision. But may I say that if the hon. Member is prepared to offer an unconditional apology to this House then this matter may not be referred to the privileges committee and the House may consider whether that apology can be accepted or not.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, श्री शुक्ल ने जो प्रस्ताव रखा है उसको पहले उनको पढ़ना चाहिये था ताकि सदन को पता चलता कि क्या प्रस्ताव है । इसलिये मैं उनसे विनती करता हूं कि पहले उन्होंने जो पत्र आपको लिखा है उसे वे पूरा पढ़ें । उसके बाद मुझे जो कहना है उसे कहूंगा ।

Mr. Speaker: He may read out the notice.

Shri Vidya Charan Shukla: The notice is as follows:

> "I wish to move in this House a Privilege Motion against Shri Madhu Limaye, M.P. and Mr. Justice Grover and Mr. Justice S. K. Kapoor for having committed breach of privilege of Lok Sabha."

These two judges are now out because . . .

Mr. Speaker: The notice may be read.

Shri Vidya Charan Shukla: I am reading the entire notice.

> "The day-to-day working of the House and the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House are sought to be nullified and made ineffective

by the writ petition which has been filed by Shri Madhu Limaye before the Circuit Bench of the Punjab High Court in Delhi. This has duly been admitted by Hon'ble Mr. Justice Grover and Mr. Justice S. K. Kapoor and they have thought it proper to serve the Speaker of Lok Sabha with summons to appear before them. This in my opinion causes a very severe breach of privilege of this House and prevents it from normal functioning in accordance with the rules of procedure and conduct of business as framed by itself.

The allegations of *mala fide* and malice made by Shri Madhu Limaye against the hon'ble Speaker of the Lok Sabha also constitutes a very severe breach of privilege of the House on whose behalf the Speaker exercises his authority impartially.

I move that this matter may be referred to the Privileges Committee of the House to determine what appropriate action may be taken against the offenders."

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं उच्च न्यायालय के सामने अपनी याचिका लेकर गया तो उसका मकसद किसी का अपमान करना या किसी के विशेषाधिकारों को भंग करना नहीं था। इस वक्त न्यायालयों के अधिकार और संसद् और विधान मण्डलों के अधिकार अपने संविधान के अन्दर क्या हैं, इस पर काफी गर्म बहस हो रही है। यह कार्य उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, केशवसिंह, साल्मोमन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले को ले कर। मैंने जो याचिका दायर की पंजाब उच्च न्यायालय के सामने उसके द्वारा मैं जानना चाहता था कि यहां पर जो कारंवाई होती है और मेरी समझ में उसमें जब संविधान टूटता है, संविधान की हत्या हो जाती है तब उसके सम्बन्ध में मुझे धारा 226 के अन्दर उच्च न्यायालय में जाकर उसका फैसला कराने का अधिकार है या नहीं। इस चीज को मैं नापना चाहता था। इसी पर मैं अन्तिम फैसला चाहता था और उसके लिये मैं उच्च न्यायालय के सामने गया था जो कि दिल्ली में बैठता है।

उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसकी नकल तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अखबारों में मैंने जो पढ़ा उससे मुझे पता चला कि मैंने जो मसला उठाया था उस पर अदालत ने कोई निश्चित राय नहीं दी है। उन्होंने एक मामले को लेकर कहा कि आपको जल्दी आना चाहिये था और दूसरे मामले के बारे में कहा कि आपको बाद में आना चाहिये था। काननी बातों को लेकर उन्होंने अपनी निश्चित राय देने से इनकार किया है। जहां तक न्यायालयों के अधिकारों का सवाल है और संसद् के अधिकारों का सवाल है उनके बारे में उन्होंने कोई निश्चित राय नहीं दी है।

इस मामले में मैं सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाने वाला हूं और यहां जो कानून बना है उसको भी चुनौती देने वाला हूं, और इसमें कुछ समय लगेगा। उसके बाद आप इस प्रस्ताव को ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आपका आग्रह है तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। आप विशेषाधिकार समिति के सामने इस सवाल को रख सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने कोई गलती की है ऐसा मुझको नहीं लगता है। अगर कोई यह साबित कर देगा और मुझे महसूस होगा कि मैंने गलत काम किया है तो मैं किसी से भी

[श्री मधु लिमये]

माफी मांगने के लिये तैयार हूं । लेकिन जब तक मेरा विश्वास है कि मैं केवल अपने कर्तव्य और फर्ज का पालन कर रहा था और मुझको संविधानिक मामले को उठाने का पूरा अधिकार था . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं तो इसे रोकने के लिये मैं तैयार हूं । मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आप का यह कहना है ।

श्री मधु लिमये : अगर आप इस पर राजी नहीं हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं बिल्कुल राजी हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं आपकी मार्फत सदन से कहना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : तो आप इस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं?

श्री मधु लिमये : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : ले जाइये, हम इन्तजार कर सकते हैं ।

Shri Vidya Charan Shukla: Sir, I read out to the House the actual words?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं

Shri Vidya Charan Shukla: The hon. Member has not put in the actual charge; the charge is different from that in the court.

Mr. Speaker: Let us proceed to the next item of business.

Shri Vidya Charan Shukla: What is the decision, Sir? Is it going to the Privileges Committee?

Mr. Speaker: No; I am not referring it to the Privileges Committee. He says he is taking it to the Supreme Court.

Shri Vidya Charan Shukla: He has not gone to the Supreme Court.

Mr. Speaker: Let him go; it does not matter. We will have that.

12.26 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENTS SHOWING ACTION TAKEN BY GOVERNMENT

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I beg to lay on the Table the following statements showing the action taken by the Government on various assurances, promises and undertakings given by Ministers during the various sessions shown against each:—

(i) Supplementary Statement No. II, Eleventh Session, 1965 (Third Lok Sabha)

(ii) Supplementary Statement No. VI, Tenth Session, 1964 (Third Lok Sabha)

(iii) Supplementary Statement No. VIII, Ninth Session, 1964 (Third Lok Sabha)

(iv) Supplementary Statement No. XIII, Seventh Session, 1964 (Third Lok Sabha)

(v) Supplementary Statement No. XV, Sixth Session, 1963 (Third Lok Sabha)

(vi) Supplementary Statement No. XVIII, Fourth Session, 1963 (Third Lok Sabha)

(vii) Supplementary Statement No. XIII, Fifteenth Session, 1961 (Second Lok Sabha)

[*Placed in Library, see* No. LT-4513|65 to LT-4519|65.]